

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 20.09.2021

### शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-17 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

### 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना मोतीगंज पुलिस ने 01, थाना परसपुर पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

#### 01. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. मायाराम पुत्र हीरालाल नि० ग्राम खिरिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-322/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 02. थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. लक्ष्मी नारायण पुत्र राजदत्त नि० मन्नीपुरवा मंगुरा बाजार थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-149/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 03. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. प्रमिला उर्फ शांति पत्नी मेहीलाल नि० बसन्तपुर राजा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०-324/21, धारा 60/60(2) आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 04. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. कैलाश यादव पुत्र लाले यादव नि० सुनौली मोहम्मदपुर थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-255/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 05. थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. श्रीनेवाज पुत्र छोटेलाल नि० बेलपुरवा मौजा अशोकपुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-323/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 06. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. दीपू उर्फ दीपचन्द्र पुत्र राजेश्वरी प्रसाद नि० ग्राम मनसुखपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-262/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

## **07. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. विजय कुमार चौहान पुत्र नंगा चौहान नि० ग्राम पाण्डे पुरवा बक्सरा आज्ञाराम थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-280/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 20.09.2021**

**ऑपरेशन गैंगेस्टर' के तहत डीजल चोरी करने के अभ्यस्त 02 गैंगेस्टर गिरफ्तार—**

15 अगस्त 2021 से चलाए जा रहे 'ऑपरेशन गैंगेस्टर' के तहत पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने शातिर गिरोहबंध अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाकर गैंगेस्टर की कार्यवाही करने तथा उनकी गिरफ्तारी करने के निर्देश समस्त थाना प्रभारियों को दिया था। जिसके अन्तर्गत जनपद के विभिन्न थानों में गैंग बनाकर अपराध करने वाले शातिर व अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाहियां की गयी थी। आज मनकापुर पुलिस ने डीजल चोरी करने वाले 02 अभ्यस्त गैंगेस्टर अपराधियों को ऑपरेशन गैंगेस्टर अभियान के अन्तर्गत गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

थाना मनकापुर पुलिस ने गैंगेस्टर एक्ट में 02 वांछित अभियुक्तों— 01. मासूक अली, 02. महेश कुमार को गिरफ्तार किया है। उक्त आरोपीगण अभ्यस्त अपराधी है जिनका एक संगठित गिरोह है जो अपने आर्थिक, भौतिक एवं दुनियाबी लाभ के लिए चोरी, नकबजनी व डीजल चोरी जैसे अपराधों में लिप्त है।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण—**

01. मासूक अली पुत्र शेर अली नि0 गुआएं लक्खारामपुर थाना विशेश्वरगंज जनपद बहराइच।
02. महेश कुमार पुत्र कृपाराम नि0 अमडोहवा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु0अ0सं0—216/21, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता टीम—**

उ0नि0 सत्येन्द्र वर्मा मय टीम।

